पटना में दिनांक–05 फरवरी, 2019 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. सतरंगी चादर/परदा/सफेद बेडशीट एवं पीलो कवर का, इसके लिए गठित समिति द्वारा गुणवत्ता आधारित निर्धारित मूल्य एवं इसका क्रय राज्य के सरकारी विभाग/ कार्यालय/| उपक्रम/सरकारी अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज द्वारा आवश्यकता अनुसार बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष) से करने की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2. "वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas" (RCPL WEA) as a vertical under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna के अन्तर्गत राज्य के पाँच जिले औरंगाबाद, गया, जमुई, बॉका एवं मुजफ्फरपुर अन्तर्गत Batch-I वर्ष–2018–19 में 13 अद्द पथ (कुल लम्बाई–184.928 कि०मी०) निर्माण कार्य (15 मी० लम्बाई तक पुल–पुलिया निर्माण सहित) एवं 40 अद्द पुल (लम्बाई–2727.31 मी०) निर्माण कार्य, Utility Shifting, Forest Clearance, पथ संधारण कार्य, सतह नवीकरण कार्य तथा 5% की दर से प्रशासनिक निधि (Administrative fund) सहित कुल ₹41025.258 लाख (चार सौ दस करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ) रूपये की अनुमानित लागत पर संलग्न परिशिष्ट–I में उल्लेखित पैकेज के अनुरूप स्वीकृति प्रदान करने एवं Column 15 में अंकित राशि पर पृथक–पृथक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

3. श्री सत्येन्द्र कुमार, तत्कालीन सेवा से बर्खास्त नियोजन पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित को पुनः दिनांक– 15.10.2013 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 3. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

4. कोशी धार में परिवर्तन के कारण कार्य स्थल पर कटाव हो जाने के फलस्वरूप ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक--मु०अ०–4(मु०) रा० यो०–03–288/2015–139, दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रदत्त पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति को रद्द करते हुए नये स्थल पर उसी नाम की योजना यथा भागलपुर जिलान्तर्गत लोकमानपुर पंचायत को विजयघाट पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ सहित 5114.00 लाख रू० की लागत की पुल निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

5. राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सॉतवे पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु गठित समिति को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्धारित अवधि को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा अभियान (तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त ST Component की कुल राशि ₹38,76,19,000/–(अड़तीस करोड़ छिहत्तर लाख उन्नीस हजार रूपये) एवं इसके विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹25,84,12,666/– (पच्चीस करोड़ चौरासी लाख बारह हजार छः सौ छियासठ रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 7. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

8. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन के अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन कमजोर एवं अलाभकारी समूह के नामांकित लाभ से वंचित शेष 52060 छात्र/छात्राओं के राशि के प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायक अनुदान के रूप में ₹34,19,82,140/– (चौंतीस करोड़ उन्नीस लाख बेरासी हजार एक सौ चालीस रूपये) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

9. वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 24 जिलों के कुल 277 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 2898/आ०प्र०, दिनांक–15.10.2018, अधिसूचना संख्या 3048/आ०प्र०, दिनांक–03.11.2018 एवं अधिसूचना संख्या 212/आ०प्र० दिनांक 22.01.2019 में आंशिक संशोधन के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

10. पंचायत उप निर्वाचन 2019 के संचालन हेतु ई०वी०एम० पावर पैक का क्रय नामांकन (nomination) के आधार पर कराये जाने के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

11. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का प्राथमिकता पर कार्यान्वयन करने एवं "दीर्घकालीन अनुरक्षण व्यवस्था" की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

12. राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को पुराने गनी बैग मद में किसानों को ₹25/–(पच्चीस रू०) प्रति क्विंटल (धान) के भुगतान के लिए ₹15/–(पन्द्रह रू०) प्रति क्विंटल (धान) की दर से प्रतिपूर्ति अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त मद में 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रूपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. पथ प्रमंडल, बेनीपुर अंतर्गत शंकर लोहार से सिसौनी पथ (SH-56) के कि०मी० 0.00 से 21.754 कि०मी० (कुल–21.754 कि०मी०) तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 7630.04 लाख (छिहत्तर करोड़ तीस लाख चार हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

15. पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के अंतर्गत पटना बख्तियारपुर फोर लेन (एन०एच०-30) के 49वें कि०मी० से चेरो-नगरनौसा आर०सी०डी० पथ के 5वें कि०मी० छठ्ठी घाट (कल्याण बिगहा) तक सड़क निर्माण कार्य योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 4804.919 लाख (अड़तालिस करोड़ चार लाख एकान्नवें हजार नौ सौ) रू० है, की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

16. श्री कृष्ण कुमार यादव, संविदा पर नियोजित, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 के आलोक में नियोजन अवधि का एक वर्ष के लिये 29.02.2020 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — 16. स्वीकृत।